देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2019/PALM/03 E-Newsletter, Issued in Public Interest रविवार, 16 जून 2019

Part-2

आबकारी अधिकारियों की शह पर, दूकान हटाने की जगह बाहुबली शराब ठेकेदार धमका रहा है विरोध करने वालों को!!!

स्थानीय लोग दहशत में|

जयपुर के आबकारी ज़ोन– 6 में स्थित लाईसेंसी मै.कुसुम भंडारी एवं सरिता राजवंशी की आवासीय कोलोनी के भूखंड संख्या 2/1-ए ,सेक्टर-2,चित्रकूट गाँधी पथ पर स्थित शराब की दूकान का मामला|

शहर में जैसे ही साल के मार्च का महीना निकलता है,आवासीय कोलोनियों में रहने वाले निवासियों की धडकने बढ़ जाती है,क्यूंकि उन्हें इस बात का भय सताने लगता है कि कहीं उनके निवास के पास स्थित खाली भूखंड में कोई शराब की दूकान नहीं खोल दे|ऐसा ही एक मामला इस वित्तीय वर्ष में,जयपुर के आबकारी ज़ोन-6 में स्थित लाईसेंसी कुसुम भंडारी एवं सरिता राजवंशी की शराब की दूकान का सामने आया है,जिसका संचालन शहर का एक रसूखदार और बाहुबली शराब ठेकेदार कर रहा है,अपने रसूख के चलते इस ठेकेदार ने शहर की व्यस्त एवं पोश आवासीय कोलोनी में स्थानीय निवासियों के जनाक्रोश के बावजूद,शराब की दुकान खोल ली|

स्थानीय विरोध के चलते शराब ठेकेदार ने आबकारी और पुलिस विभाग की मौजूदगी में 31/05/2019 तक दूकान बंद करने का लिखित में किया था समझौता

आबकारी ज़ोन-6 में गांधी पथ,चित्रकूट सेक्टर 2 में भूखंड संख्या 1-ए में चलती शराब की दूकान

यह दूकान स्थानीय जन आक्रोश के चलते दो बार बंद हुई,पहली बार 04/04/2019 को हुई जिस पर दुकान को 7 दिन में अन्यंत्र स्थानांतरित करने के आश्वासन पर आन्दोलन टाल दिया गया परन्तु 7 दिन में कोई हलचल नहीं होने पर पुनः 19/04/2019 को हुए विरोध के चलते इस दूकान के संचालक शराब ठेकेदार राजेन्द्र भंडारी और अजीज खान ने 30/05/2019 तक इस शराब की दुकान को वर्तमान स्थान से हटा कर अन्यंत्र स्थानांतरित करने का समझौता स्थानीय निवासियों के साथ,आबकारी निरीक्षक महेंद्र गुप्ता और स्थानीय चित्रकूट थाने के ए.एस.आई. सुरेन्द्र धाकड़ के साथ आये पुलिस जाप्ते की मध्यस्था में किया|जिस पर अपनी सहमति देते हुए स्थानीय निवासियों द्वारा अपना आन्दोलन वापस ले लिया और 30/05/2019 तक शराब की दुकान के संचालन की इजाजत दे दी|

शराब ठेकेदार और आम जन के बीच,सादे कागज पर लिखा गया समझौता पत्र जिसमे 30/05/2019 तक दुकान अन्यंत्र स्थानांतरित करने की बात स्पष्ट लिखी गयी है, जिसे मानने से आबकारी अधिकारी अब सीरे से मना कर रहे है|

श्री   दिनांक: 19/4/19

मैं राजेन्द्र सिंह भण्डारी मेरी पत्नी श्रीमती कुसुम भण्डारी
सविता राम बक्शी के नाम से अंग्रेजी शराब की दुकान
जोन न. 06 अनुज्ञापत्र- 1851 प्लाट न 21 / C
सेक्टर न. 2 चित्रकूट में आवंटित हुई है
जिसका विरोध कॉलोनी वासियों ने किया हुआ है
कॉलोनी वासियों के विरोध के कारण उक्त दुकान
को हम 30 मई 2019 तक हटा कर अन्यत्र स्थान पर
स्थानान्तरित कर लेंगे

RAJENDRA BHANDARI
9351500053

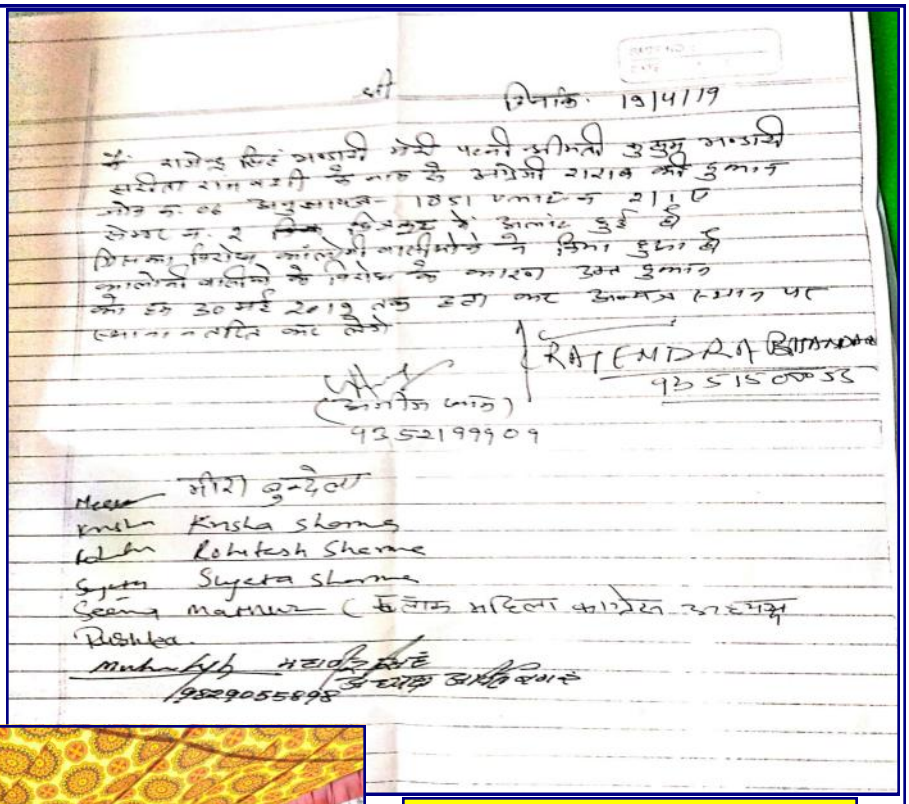

(अजीज खान)
9352199909

Meera मीरा बुन्देला
Krisha Krisha Sharma
Rohitesh Sharma
Sujeta Sharma
Seema Mathur (ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष)
Rishika
महावीर सिंह
अध्यक्ष आदि
9829055898

आबकारी निरीक्षक महेंद्र गुप्ता और स्थानीय चित्रकूट थाने के ए.एस.आई. सुरेन्द्र धाकड़ के साथ आये पुलिस जाप्ते की मध्यस्था में स्थानीय जनता के साथ बातचीत करते शराब ठेकेदार राजेन्द्र सिंह और अजीज खान

आबकारी विभाग पलटा कार्यवाही से

परन्तु इसके बावजूद विभाग अपनी कार्यवाही से पलट रहा है,15/05/2019 को दी गयी रिपोर्ट में आबकारी निरीक्षक ने किसी समझौते की बात सीरे से नकारते हुए बताया कि इस दूकान पर दो बार विरोध हुआ था परन्तु ठेकेदार की समझाईश से अब कोई विरोध नहीं है|इसलिए यह दूकान नहीं हटाई जा सकती|

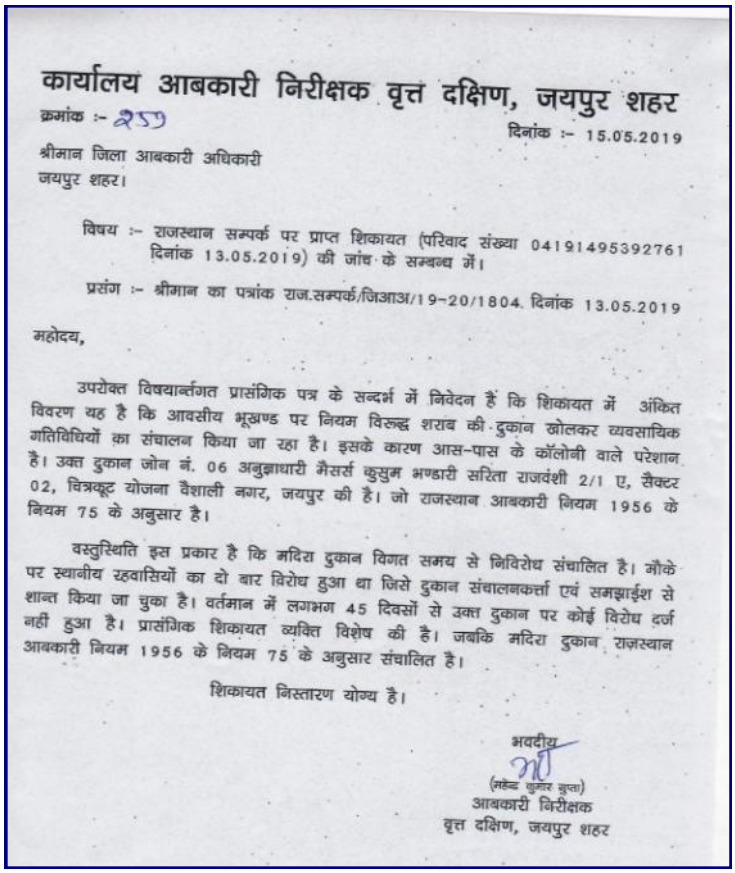

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त दक्षिण, जयपुर शहर

क्रमांक :- 259 दिनांक :- 15.05.2019

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर।

विषय :- राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त शिकायत (परिवाद संख्या 04191495392761 दिनांक 13.05.2019) की जांच के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- श्रीमान का पत्रांक राज.सम्पर्क/जिआअ/19-20/1804 दिनांक 13.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि शिकायत में अंकित विवरण यह है कि आवसीय भूखण्ड पर नियम विरूद्ध शराब की दुकान खोलकर व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसके कारण आस-पास के कॉलोनी वाले परेशान है। उक्त दुकान जोन नं. 06 अबुझाधारी मैसर्स कुसुम भण्डारी सरिता राजवंशी 2/1 ए, सैक्टर 02, चित्रकूट योजना वैशाली नगर, जयपुर की है। जो राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अनुसार है।

वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि मदिरा दुकान विगत समय से निविरोध संचालित है। मौके पर स्थानीय रहवासियों का दो बार विरोध हुआ था जिसे दुकान संचालनकर्त्ता एवं समझाईश से शान्त किया जा चुका है। वर्तमान में लगभग 45 दिवसों से उक्त दुकान पर कोई विरोध दर्ज नहीं हुआ है। प्रासंगिक शिकायत व्यक्ति विशेष की है। जबकि मदिरा दुकान राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अनुसार संचालित है।

शिकायत निस्तारण योग्य है।

भवदीय

(महेन्द्र कुमार गुप्ता)
आबकारी निरीक्षक
वृत्त दक्षिण, जयपुर शहर

शराब ठेकेदार ने समझाईश की जगह फैलाया खौफ,स्थानीय निवासी दहशत में|

इस समय का फायदा उठा कर शराब ठेकेदार ने एक-एक कर स्थानीय लोगो में अपना भय कायम करना शुरू कर दिया,उसके गुंडों के खौफ से आज इस कोलोनी में कोई व्यक्ति शराब ठेकेदार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है|

जे.डी.ए. के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन भी लिख चुके है कार्यवाही के लिए|

जिला आबकारी अधिकारी,जयपुर शहर को लिखे अपने पत्र में जे.डी.ए. के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर प्रसाद सैनी ने अवगत करवाया है कि उक्त भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधियों की स्वीकृति जे.डी.ए. द्वारा जारी नहीं की गयी है जे.डी.ए. की अनुमति एवं स्वीकृति के बिना आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक उपयोग करना अवैध है|अतः आबकारी विभाग शराब लाईसेंसी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें|

गत वर्ष आबकारी विभाग ने अवैध व्यवसायिक परिसर में बनी शराब की दूकान को सील की थी

जब गत वर्ष आबकारी विभाग के ज़ोन-5 में स्थित लायसेंसी विशाल मित्तल की दूकान को अजमेरा गार्डन में नर्सरी की जमीन पर चल रही दुकानों पर जे.डी.ए. की कार्यवाही के चलते आगामी आदेशों के लिए सील कर दिया था,तो आबकारी अधिकारी इस दूकान पर कार्यवाही करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे??

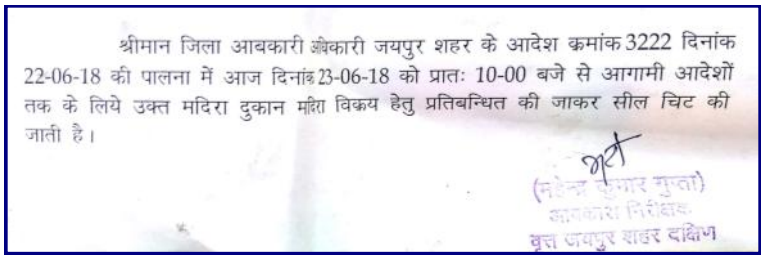

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर के आदेश कमांक 3222 दिनांक 22-06-18 की पालना में आज दिनांक 23-06-18 को प्रातः 10-00 बजे से आगामी आदेशों तक के लिये उक्त मदिरा दुकान मदिरा विक्रय हेतु प्रतिबन्धित की जाकर सील चिट की जाती है।

(महेन्द्र कुमार गुप्ता)
आबकारी निरीक्षक
वृत्त जयपुर शहर दक्षिण

स्थानीय निवासियों से समझौते के बावजूद शराब ठेकेदार के व्यक्तिगत फायदे के लिए जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती रेखा माथुर और ज़ोन आबकारी निरीक्षक श्री महेंद्र गुप्ता कर रहे है अपने पद का दुरूपयोग

इस पूरे मामले में जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती रेखा माथुर और ज़ोन आबकारी निरीक्षक श्री महेंद्र गुप्ता की भूमिका संदिग्ध रही है,जो जे.डी.ए. और स्थानीय विरोध के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है|जाहिर है इस पूरे मामले के पीछे बाहुबली शराब ठेकेदार की सरपरस्ती है,जिसके कारण आबकारी विभाग के आला अधिकारी अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं कर रहे है और येन केन प्रकारेण इस शराब की दूकान को इसी जगह चलवाने के लिए आमादा है|

आबकारी विभाग लाईसेंसी से ले लेता है अवैध निर्माण के सन्दर्भ में शपथपत्र|

आबकारी विभाग ऐसे मामलों में लाईसेंसी से यह शपथपत्र ले कर इतिश्री कर लेता है कि लोकेशन पर जमीन सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है,यदि कोई विवाद होगा तो समस्त कार्यवाहियों का वह जिम्मेदार होगा|

इस मामले में तो जे.डी.ए. के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन द्वारा आबकारी विभाग को इस शराब की दूकान को अवैध मानते हुए कार्यवाही के लिए पत्र लिखा है|इसके बावजूद आबकारी विभाग की खामोशी दाल में कुछ काला होने का संकेत दे रही है|

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा/मुनिप्र/2019/डी–1355 दिनांक–31.5.19

सेवामें,

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर, जयपुर।

विषयः– भू.सं–2/1–ए चित्रकुट, गॉधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर में संचालित शराब की दुकान के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त आवासीय भूखण्ड पर संचालित शराब की दुकान के बाबत शिकायत प्राप्त होने पर उपायुक्त जोन–07 के कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड पर व्यवसायिक उपयोग की स्वीकृति जविप्रा द्वारा जारी नहीं की गयी है। उक्त भूखण्ड पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक–14748 दिनांक–05.03.2019 द्वारा अनुज्ञाधारी श्रीमती कुसुम भण्डारी व सरिता राजवंशी के नाम से भारत निर्मित विदेशी मदिरा/ बीयर की दुकान संचालन का लाईसेंस जारी किया गया है। जविप्रा की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के आवासीय भूखण्ड पर व्यवसायिक उपयोग किया जाना अवैध है। अतः उक्त दुकान के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र सादर प्रेषित है।

भवदीय

31/5/19
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2575151 ,एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

श्रीमान मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन,जे.डी.ए. द्वारा इस शराब की दूकान को अवैध मानते हुए आवश्यक कार्यवाही के लिए लिखा गया पत्र,परन्तु फिर भी जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती रेखा माथुर और ज़ोन आबकारी निरीक्षक श्री महेंद्र गुप्ता इस लाईसेंसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है और इस मामले में टालमटोली करते नजर आ रहे है|